



## **CORRIGENDUM – 3**

**For**

**Centralised Employment Notice (CEN) No. 06/2024 Non Technical Popular Categories**  
**(Under Graduate)**

Recruitment for the various posts of Non Technical Popular Categories (Under Graduate) CEN 06/2024 was Published on Websites of RRBs on 20.09.2024.

As per Gazette of India : Extraordinary, issued by Ministry of Social Justice and Empowerment dated 24 August 2022, the following Amendment is made:-

The posts which were identified for PwBD (**LD**) categories notified against CEN No. 06/2024 are revised as under:

**A separate sub category i.e Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction is incorporated under Locomotor Disability in addition to OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA and BLA.**

**SD/SI candidates can apply against LD categories in any RRB having at least 01 vacancy in LD category.**

All other terms and conditions of the Centralised Employment Notice (CEN) No. 06/2024, read with Corrigendum – 1 & 2 will remain unchanged.

CEN No. 06/2024 dated 15.10.2024

**Chairpersons**  
**Railway Recruitment Boards**



### शुद्धिपत्र - 3

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 06/2024 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व स्नातक)

सीईएन सं. 06/2024 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व स्नातक) के विभिन्न पदों के लिए अधिसूचना 20.09.2024 को आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की गई थी।

भारत सरकार के राजपत्र अनुसार: असाधारण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2022, को जारी संशोधन निम्नलिखित है:

सीईएन सं 06/2024 में अधिसूचित किया गया वह पद जिसकी पहचान पीडब्ल्यूबीडी (एलडी) कोटियों के लिए की गई थी को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

लोकोमोटर दिव्यंगता के तहत ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के अलावा एक अलग उपश्रेणी अर्थात् किसी भी संबद्ध तंत्रिका संबंधी / लिंब डिस्फंक्शन के बिना स्पाइनल डिफोर्मिटी (एसडी) और स्पाइनल इंजरी (एसआई) को शामिल किया गया है।

एसडी/एसआई उम्मीदवार एलडी कोटियों में कम से कम 01 रिक्ति वाले किसी भी आरआरबी में एलडी कोटियों के लिए आवेदन कर सकते हैं

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 06/2024 के अन्य सभी नियम और शर्तों में शुद्धिपत्र - 1 एवं 2 के साथ पढ़ने पर कोई बदलाव नहीं रहेगा।

केरोसू सं. 06/2024 दिनांक 15.10.2024

अध्यक्ष  
रेलवे भर्ती बोर्ड